न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी– सुनील आर्य आर.ए.एस

मु0 नं0 05/2014

गगांराम पुत्र सूखा माली निवासी दौलतपुरा मजरा बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

1–तहसीलदार बयाना

2–रामधन

3–धनसिंह

4–भवरसिंह

पुत्रान सूखा, जाति माली निवासी दौलतपुरा मजरा बल्लभगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज0

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 **LR**एक्ट

निर्णय

02/03/2021

उपस्थिति– श्री महेन्द्रभूषण शर्मा– एड0 प्रार्थी

श्री राकेश सैन एड0 अप्रार्थी 2 लगायत 4

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि पुराना आ. ख. न. 6 रकवा 11 बीघा 12 विस्बा ग्राम कटारियापुरा तहसील बयाना को प्रार्थी एवं उसके भाई रामधन, धनसिंह , भवंरसिंह, ने मिलकर सयुक्त रूप से जरिये रजि0 विक्रय तारीख 23 जून 1972 को खातेदार लोचन पुत्र सूरजमल जाति ठाकुर निवासी ग्राम गोगेरा तहसील वैर से क्रय किया था। विक्रय पत्र तारीख 23/06/1972 के आधार पर प्रार्थी एवं रामधन, धनसिंह, भंवरसिंह, के ह कमे नामान्तरण संख्या 120 दिनांक 21/7/1972 दर्ज कर तस्दीक हो गया। उक्त नामान्तकरण के अनुसार जमाबन्दी में इन्द्राज कराने का आदेश किया गया। नामा0 संख्या 120 की पालना में जमाबन्दी मे [illegible] ों के नाम खातेदार इन्द्राज होकर राजस्व रिका र्ड में अमल हो [illegible] पुराना [illegible] 6 रकवा 11 बीघा 12

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

विस्वाग्राम कटारियापुरा तहसील बयाना के बन्दोवस्त के दौरान हाल खसरा नम्बर 223/0.15, 224/0.05, 225/0.01, 226/0.49, 227/0.20, 228/0.28, 231/0.19, 232/0.10, 233/0.59, कुल किता 09, कुल रकवा 1.88 है0 बनाये गये। बन्दोवस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के जमाबन्दी तैयार करते समय सहबन मूल से रामधन, धनसिंह, भंवरसिंह, के साफ कालम संख्या 04 में प्रार्थी का नाम छोड दिया है, जबकि बन्दोबस्त पूर्व की जमाबन्दियों में सभी भाइयो के नाम खातेदारी का इन्द्राज होता चला आ रहा है। बन्दोवस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सहवन मूल से प्रार्थी का नाम छोडे जाने से बहुत ही क्षति होने की सम्भावना है जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर राजस्व अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर रामधन , धनसिंह, भंवरसिंह के साथ –साथ प्रार्थी गगांराम जोडे जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र अनुसार तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 को जरिये नोटिस तलब किया। प्रकरण में तहसीलदार बयाना के पत्रांक/**LR**/102 दिनांक 13/6/2015 (राजस्व लोक अदालत वर्ष 2015) से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने न्यायालय हाजा में दिनांक 13/01/2021 को इकवाल प्रार्थना पत्र पेश कर प्राथना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरस्त कर प्रार्थी का नाम दर्ज कर व.हि. वरावर जोडे जाने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण 2 लगायत 4 ने की प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने में अपनी सहमती दी है।

विद्वान अभिभाषकगणों को सुननें के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी–सम्बत् 2066–69, 2016, 2030, 2051–2071 तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट दिनांक 13/06/2015 का गहनता से अध्ययन किया। जमाबन्दी सम्बत 2030 में खसरा नम्बर 6 रकवा 11 बीघा 12 विस्वा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का नाम दर्ज अभिलेख है इसी प्रकार जमाबन्दी 2051–2070 (भू प्रबन्ध विभाग) में पुराने खसरा नम्बर 223/0.15, 224/0.05, 225/0.01, 226/0.49, 227/0.02, 228/0.28, 231/0.19, 232/0.10, 233/0.59, बनाए गए है में प्रार्थी का नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का नाम व.हि. बराबर दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा प्रार्थी को उक्त खसरा नम्बरान में व0 हि0 बराबर दर्ज [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बयाना ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 13/06/2015 में प्रार्थी गंगाराम का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना उचित है अंकित किया है।

पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा किए गए इकवाल प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कटारियापुरा तहसील बयाना के नवीन खसरा नम्बर 223/0.15, 224/0.05, 225/0.01, 226/0.49, 227/0.02, 228/0.28, 231/0.19, 232/0.10, 233/0.59, कुल किता 09 रकवा 1.88 हैक्टेयर के कालम संख्या 04 में रामधन, धनसिंह, भंवरसिंह पिसरान सूखा के साथ–साथ प्रार्थी गगांराम पुत्र सूखा ब.हि.बराबर दर्ज किया जावे। शेष अंकन बदस्तूर रहें। निर्णय की छाया प्रमाणित प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested